



अभियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश

भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत नये अपराध

साइबर क्राइम



[Cyber Crimes (Phishing, Vishing, Hacking इत्यादि)]

संगठित अपराधों में शामिल अपराधी एवं उनके सहयोगियों को कम से कम 5 साल की कैद और अधिकतम उम्रकैद (Life Imprisonment) एवं साथ ही कम से कम 5 लाख रुपये का जुर्माना। (धारा 111)